स0 सं0 14/एम 11–1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक
इन्दिरा गाधी आयुर्विज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना–14 ।

पटना, दिनांक.....

विषयः– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **21.10.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	मनोज कुमार पिता– गणेश यादव ग्राम– धेनुडीह वार्ड 01 पो0– बासुदेवा थाना– सिंघिआ जिला– समस्तीपुर सीआर नं0– 108112300248551	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सुधा देवी पति– सुरेंद्र प्रसाद केशरी ग्राम– बाकरगंज दलदली रोड इमली तल वार्ड 37 पो0– बांकीपुर थाना– कदमकुंआ जिला– पटना सीआर न0– 108112602651648	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	रूदल प्रसाद पिता–बिरजू महतो ग्राम– सोनाचक पो0– कसारी थाना– गौरीचक जिला– पटना सीआर नं0– 108112602534315	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	पिंकी देवी पति– अजित मिश्रा ग्राम– गोखले नगर विशनपुर वार्ड 07 पो0– गोखले नगर विशनपुर थाना–बलिया जिला–बेगूसराय सीआर नं0– 108112300075338	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	अनुपी देवी पति– सुकदेव दास ग्राम– लखनीपुर वार्ड 14 पो0– भदियन थाना– नानपुर जिला– सीतामढी सीआर नं0– 108112690011307	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	आशिश कुमार पिता– संजय कुमार मेहता ग्राम– घिवहा वार्ड 04 पो0– घिवहा थाना– छातापुर जिला– सुपौल सीआर न0– 108112600905286	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	सुनीता देवी पति– रूपलाल यादव ग्राम– भुसियातरी वार्ड 06 पो0– कधार थाना– जयपुर जिला– बांका सीआर नं0– 108112602556181	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	नदे साव पिता– लखन साव ग्राम– बलजोरी बीघा कटारी हिल वार्ड 28 पो0– गया थाना–चन्दौती जिला– गयाजी सीआर नं0– 108112601828561	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	अनीता देवी पति– अनिल दास ग्राम– नन्दापट्टी वार्ड 26 पो0– अतौर थाना– बहेडा जिला– दरभंगा सीआर नं0– 108112602462209	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
10	लहरी देवी पति– कुना पासवान ग्राम– आझोकोपा वार्ड 06 पो0– आझोकोपा थाना– रूपौली जिला– पूर्णियॉ सीआर नं0– 108112602645354	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
11	रइदुर रहमान अंसारी पिता– करीम बक्स असारी ग्राम– भाटाबाडी वार्ड 01 पो0– भाटाबाडी थाना– बहादुरगंज जिला– किशनगंज सीआर नं0– 108112601852259	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	विष्णुदेव महतो पिता– शिवधारी महतो ग्राम+पो0– रामपुर थाना– मुरलीगंज जिला– मधेपुरा सीआर नं0– 108112602678252	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	फुलिया देवी पति– बासुदेव यादव ग्राम– जागाडीह वार्ड 10 पो0– माधोपुर थाना– चन्द्रमंडीह जिला– जमुई सीआर नं0– 108112501138061	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	अमित कुमार पिता– शिव कुमार शर्मा ग्राम– पररी पो0– तारानगर थाना– आईआईटी बिहटा जिला– पटना सीआर न0– 108112401689256	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	कुमारदेव यादव पिता– सुन्दर यादव ग्राम– तीनटंगी वार्ड 13 पो0– तमुआ थाना– राजेश्वरी जिला– सुपौल सीआर नं0– 108112300315622	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
16	अनीता देवी पति– रामबिलाश यादव ग्राम– भवानी बिगहा पो0– नानन्द थाना– सिलाव जिला– नालदा सीआर नं0– 108112602415910	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
17	अतिउल्लाह पिता– शेख वऊब ग्राम– बरहरवा लखनसेन वार्ड 09 पो0– बरहरवा लखनसेन थाना– ढाका जिला– पूर्वी चम्पारण सीआर न0– 108112300217656	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	सिद्दीक अंसारी पति– ईद मोहमम्मद असारी ग्राम– छोटा तेलपा कोरार वार्ड 40 पो0– छपरा थाना– नगर जिला– सारण सीआर नं0– 108112300654079	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	कुंती देवी पति– कपिलदेव प्रसाद ग्राम– बेदीबन मधुबन वार्ड 02 पो0– दामोदरपुर थाना– पीपरा जिला– पूर्वी चम्पारण सीआर नं0– 108112601763400	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	उषा देवी पति– रामसेवक यादव ग्राम– चिरैला वार्ड 05 पो0– बेल्हाडी थाना– बेलागज जिला– गयाजी सीआर नं0– 108112602510335	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	माही कुमारी पिता– राकेश साह ग्राम– बामो वार्ड 01 पो0– महुआ थाना– बैकुंठपुर जिला– गोपालगज सीआर नं0– 108112602580937	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	मेहदी हसन पिता– क्यामुद्दीन ग्राम– कबिलासपुर पो0– वी0एस0 मिल थाना– थावे जिला– गोपालगज सीआर न0– 108112601585463	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	मंजू देवी पति– मिथिलेश तिवारी ग्राम– सुगौली गांव वार्ड 17 पो0+थाना– सुगौली जिला– पूर्वी चम्पारण सीआर नं0– 108112602672254	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	राज कुमारी देवी पति– रणवीर सिह ग्राम– सिघिया वा र्ड 12 पो0+थाना– सिघिआ जिला– समस्तीपुर सीआर नं0– 108112300640051	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	ललिता देवी पति– सुरेश राय ग्राम– आमात टोला रामपुर मोहनपुर वार्ड 13 पो0– रामपुर मोहनपुर थाना–बैरगाछी जिला– अररिया सीआर नं0– 108112601949627	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	अरविन्द कुमार पिता–गणेश दत्त सिंह ग्राम– कनौदा वार्ड 03 पो0– नगवा पथरा थाना– इमामगंज जिला– गयाजी सीआर नं0– 108112602117161	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	फेकनी खातून पति– मजहरूल मंसूरी ग्राम– मडेडा पो0– पोठिया थाना–सन्हौला जिला– भागलपुर सीआर न0– 108112602124583	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	राजेश सिंह पिता– श्री भगवान सिंह ग्राम– ईसरपुरा वार्ड 06 पो0–नटवार थाना–बिक्रमगंज जिला– रोहतास सीआर न0– 108112602778133	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	राम प्रसाद दास पिता– मन्नी दास ग्राम+पो0– जयनगर थाना– भरगामा जिला– अररिया सीआर नं0– 108112503460555	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	ताजी मियां पिता– मो0 रफीक ग्राम– भाडा पो0– बरसम थाना–सौरबाजार जिला– सहरसा सीआर नं0– 108112602268925	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	शोभा कांत झा पिता– लक्ष्मीकांत झा ग्राम+पो0– तोयगढ थाना– जयरामपुर जिला– शेखपुरा सीआर नं0– 108112602268836	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	आशा देवी पति– रमेश प्रसाद यादव ग्राम– टुनियाही वार्ड 05 पो0– टुनियाही थाना– मधेपुरा जिला– मधेपुरा सीआर नं0– 108112602713821	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	शाह आलम पिता– मोफिलुद्दीन ग्राम– चौखरिया पो0+थाना– बारसोई जिला– कटिहार सीआर नं0– 108112602127345	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	शोभा कुमारी पति– दिलीप राम ग्राम– जागोडीह वार्ड 04 पो0– रामडिहरा थाना– अमझौर जिला– रोहतास सीआर नं0– 108112300546764	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	परमानंद प्रसाद पिता– लाल कृष्णा प्रसाद ग्राम– परोहा वार्ड 04 पो0– परोहा थाना– मानपुर जिला– नालंदा सीआर न0– 108112300327141	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	सोनम कुमारी पति– मुकेश पसवान ग्राम– सुलिन्दाबाद वार्ड 43 पो0– सुलिन्दाबाद थाना– सहरसा जिला– सहरसा सीआर नं0– 108112501487995	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	सुनील मडल पिता– दसय मडल ग्राम+पो0– जोबबाहा थाना– सुपौल नदी जिला– सुपौल सीआर न0– 108112602066052	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	किरण देवी पति– अवधेश राम ग्राम– मईनटोला पो0– मनिकौली थाना– सिघवारा जिला– दरभंगा सीआर नं0– 108112602075451	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	मिथिलेश देवी पति– प्रेम चद्र झा ग्राम+पो0– सांगी थाना– फुलपरास जिला– मधुबनी सीआर नं0– 108112601968273	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	धनेश्वर राम पिता– चिंतावन राम ग्राम– बनबिरा पो0– पहलिया थाना– हलई जिला– समस्तीपुर सीआर नं0– 108112602324841	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	गायत्री देवी पति– अच्छेलाल चौहान ग्राम– फरछुआ पो0– बिशुनपुरा थाना– मेरवा जिला– सिवान सीआर नं0– 108112403817383	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	हलीमा खातुन पति– मो0 कलाम ग्राम+पो0– गोपालपुर थाना– कल्याणपुर जिला– समस्तीपुर सीआर नं0– 108112600905456	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	अमित कुमार पिता– मेघनाथ राम ग्राम– प्लैट न0 302 कपिलदेव कुज अपार्टमेट वेस्ट आनद पूरी बोरिग रोड पो0– जी0पी0ओ0 थाना– श्रीकृष्णापुरी जिला– पटना सीआर नं0– 108112601715553	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	बसंती देवी पति– दुखन मंडल ग्राम– बकिया वार्ड 11 पो0– डुमर थाना– पोठिया जिला– कटिहार सीआर न0– 108112602361305	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	जलेखा खातून पति– इस्लाम मियां ग्राम– खुटिया बिन्दु वार्ड 02 पो0– चनायनबाध थाना– मझौलिया जिला– पश्चिम चम्पारण सीआर न0– 108112300965007	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
46	सरस्वती कुमारी पिता– शिवजी महतो ग्राम– दिघवा पो0– दिघवा दुबौली थाना– बैकुंठपुर जिला– गोपालगंज सीआर नं0– 108112602343722	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	सुनीति सिन्हा पिता– सोनेलाल कुमार ग्राम– दररिया बिगहा पो0– जमतपुर थाना– चंडी जिला– नालदा सीआर नं0– 108112300817083	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	धनंजय कुमार पिता– वासुदेव प्रसाद यादव ग्राम+पो0– कचरा थाना– सौरबाजार जिला– सहरसा सीआर नं0– 108112401185568	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	कामेश्वर सिंह पिता– राम चद्र सिंह ग्राम– गहिलो वार्ड 05 पो0– जैतपुर थाना– सरैया जिला– मुजफ्फरपुर सीआर न0– 108112300145344	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	कृष्णनंद सिंह पिता– स्व0 देवनदन सिंह ग्राम– रामदौली पो0– बिदुपुर बाजार थाना– बिदुपुर जिला– वैशाली सीआर न0– 108112602545856	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	लक्ष्मीना देवी पति– सोनधारी राय ग्राम– अजायबगज वार्ड 01 पो0– छपरा थाना– भगवान बाजार जिला– सारण सीआर न0– 108112602737488	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	मणि राम पिता– उत्तम लाल राम ग्राम– भंगाहा तुला वार्ड 02 पो0– दिबरा बाजार थाना– बी कोठी जिला– पूर्णियॉ सीआर नं0– 108112502617429	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
53	कविता देवी पति– रणजीत कुमार ग्राम– अहुना वार्ड 04 पो0– चॉदपूरा खुर्द थाना– अलौली जिला– खगडिया सीआर नं0– 108112300306437	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

54	लक्की कुमारी पिता– जितेन्द्र साह ग्राम– सीताकुंड हसनपुर वार्ड 15 पो0– दरियापुर थाना– मुफसिल जिला– मुंगेर सीआर न0– 108112300018008	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
55	विरेनद्र कुमार पिता– राम पुकार सिंह ग्राम– बघसोती वार्ड 15 पो0– पोगर थाना– रफीगज जिला– औरगाबाद सीआर न0– 108112300394395	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
56	डोमी राम पिता– जागेश्वर राम ग्राम– मोकमा वार्ड 08 पो0– मोकमा थाना– बसनही जिला– सहरसा सीआर नं0– 108112300128148	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
57	विरेन्द्र गोसाई पिता– कैलाश गोसाई ग्राम+पो0– बरका बलुआ थाना– पताही जिला– पूर्वी चम्पारण सीआर नं0– 108112300046834	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
58	सुरेन्द्र साव पिता– विश्वनाथ साव ग्राम– रघुनाथ टोला अनीसाबाद पो0– अनीसाबाद थाना– गर्दनीबाग जिला– पटना सीआर नं0– 108112502676996	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
59	बिनोद कुमार गुप्ता पिता– काली चरण प्रसाद गुप्ता ग्राम– कच्ची पक्की रोड अत्तरदह पो0– रमना थाना– सदर जिला– मुजफ्फरपुर सीआर नं0– 108112602685542	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
60	पवन कुमार पिता– स्व0 महाराज ठाकुर ग्राम– कन्हौली विशुनदत्त लक्ष्मी नारायण वार्ड 48 पो0– रमना थाना– मिठनपुरा जिला– मुजफ्फरपुर सीआर नं0– 108112602088501	हृदय रोग एमवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

61	सोनी देवी पति– सुवोध दास ग्राम– तुलसी टोल वार्ड 01 पो0– पहाडपुर थाना– बलिया जिला– बेगूसराय सीआर न0– 108112602293334	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	सम्पत्ति पासवान पिता– भागवत पासवान ग्राम+पो0– सुक्की थाना– खजौली जिला– मधुबनी सीआर नं0– 108112602508080	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
63	अम्बिका प्रसाद यादव पिता– स्व0 शिवचरण सिंह ग्राम– लालसे बिगहा पो0– भरथुआ थाना– जहानाबाद नगर जिला– जहानाबाद सीआर नं0– 108112602073385	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
64	विवेक कुमार पिता– श्री भगवान राम ग्राम– उतरी दहियावां टोला वार्ड 24 पो0– साहेबगंज थाना– नगर जिला– सारण सीआर नं0– 108112602917109	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
65	राजेश्वरी देवी पति– रामपूजन मांझी ग्राम+पो0+थाना– दरियापुर जिला– सारण सीआर नं0– 108112601370602	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
66	पम्पी देवी पति– रंजन कुमार चौधरी ग्राम+पो0– सिंघिया मकंदपुर थाना– गोपालपुर जिला– भागलपुर सीआर न0– 108112502643940	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	मोहन साव पिता– स्व0 रामचंद्र साव ग्राम– घाटकुसुम्भा पो0– डीहकुसुम्भा थाना– बाउघाट जिला– शेखपुरा सीआर न0– 108112402632835	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

68	राम नरेश सिंह पिता– गंगा सिंह ग्राम+पो0– अहिरौलिया थाना– चिरैया जिला– पूर्वी चम्पारण सीआर नं0– 108112602133094	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	सुनील कुमार पिता– अनिरूद्ध प्रसाद ग्राम– पुरानी किला बनिया टोली सिवान पो0– सिवान थाना– नगर जिला– सिवान सीआर नं0– 108112601926643	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	पुष्पा देवी पति– आनद पासवान ग्राम– मुगराहन ताजपुर पो0– बबुरबन थाना– बरूराज जिला– मुजफ्फरपुर सीआर नं0– 108112400698243	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	कालेश्वर यादव पिता– दशरथ यादव ग्राम– माली टोला मलयपुर पो0+थाना– मलयपुर जिला– जमुई सीआर नं0– 108112601284650	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	सुनीता देवी पति– मनोज कुमार ग्राम+पो0– बचरी थाना– पीरो जिला– भोजपुर सीआर नं0– 108112600461787	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			55,60,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 55,60,000/– **(पचपन लाख साठ हजार)** के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सख्या– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000894 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0–**503 2011 9556** खाता धारक का नाम–"**निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना**"खाते का प्रकार–चालु,बैंक का नाम–**इंडियन बैंक,** शाखा का नाम–आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 मे अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. **गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।**

5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. **स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।**

8. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2912 (14) पटना, दिनाक 26/12/2024

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 000894 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि–लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/12/24
निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14/एम 11–1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
फुलवारीशरीफ, पटना–801505

पटना, दिनांक .. ..

विषय.– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनाक **21.10.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	**मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या**	**बीमारी का नाम**	**अनुदान की राशि**	**राशि शब्दो में**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	बबलू कुमार राय पिता– असरफी राय ग्राम– दयालपुर पो0– माधोपुर थाना– मढौरा जिला– सारण सीआर न0– 109112302634508	High Grade Glioma	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			50,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 50,000/- (पचास हजार)** के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को ''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'', खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 100891... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **579310110008985** खाता धारक का नाम–Patient Care Fund **'एम्स, पटना'** खाते का प्रकार–चालु, बैंक का नाम– **बैंक आफ इंडिया,** शाखा का नाम –**एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना,बिहार, 801507** RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0005793 मे अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

6. **स्वीकृत राषि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।**

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2913(14) पटना, दिनाक 26/10/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0. 000897 ..की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख 26/10/26

सं0 सं0 14/एम 11–1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एडं रिसर्च सेटर एस0के0एम0 सी0 एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर–842004

पटना, दिनाक.. ....

विषयः– मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबध में।

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **21.10.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	महासुन्दर देवी पति– विशन्देव साह ग्राम– सोरहट्टा पो0– बीबीपुर थाना– बेलसर जिला– वैशाली केस फाईल नं0– 19एफ2026/005761	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	अनीता देवी पति– ललित कुमार चौधरी ग्राम– महमदपुर शिवराम पो0– महमदपुर बदल थाना– सकरा जिला– मुजफ्फरपुर केस फाईल न0– 19एफ2024/004059	कैंसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
3	सविता देवी पति– सुनील कुमार सिंह ग्राम+पो0– गोरीगामा थाना– मीनापुर जिला– मुजफ्फरपुर केस फाईल न0– 19एफ2026/007026	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
4	ईश्वरी देवी पति– महेद्र यादव ग्राम– गोबराही पो0– डोरवार थाना– जयनगर जिला– मधुबनी केस फाईल नं0– 19एफ2026/007395	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	अजुम आरा खातून पति– सगीर शेख ग्राम+पो0– धमौरा थाना– साठी जिला– पश्चिम चम्पारण केस फाईल नं0– 19एफ2026/005070	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	सुदामा देवी पति– राम लगन राय ग्राम– बल्ली सरैया पो0– बखरा थाना– सरैया जिला– मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0– 19एफ2024/003332	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	जरीना खातून पति– जुमराती मियां ग्राम– बजनिया रेलवे गुमटी 162सी पो0– मोतिहारी थाना– बंजरिया जिला– पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0– 19एफ2026/007675	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	राजू विश्वास पिता– प्रफुल विश्वास ग्राम– गायत्री नगर पो0– मोतिहारी थाना– टाउन पुलिस स्टेशन जिला– पूर्वी चमपारण केस फाईल न0– 19एफ2026/008202	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	उर्मिला देवी पति– राम सगुन मंडल ग्राम– बेला पो0– रहियार कोंची थाना– शिवाजीनगर जिला– समस्तीपुर केस फाईल नं0– 19एफ2026/002446	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	उषा देवी पति– लाल बहादुर राय ग्राम– छीतरचक पो0– सोनपुर थाना– सोनपुर जिला– सारण केस फाईल नं0– 19एफ2026/003456	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	निलम देवी पति– विजय पडित ग्राम+पो0– बेरइ थाना– हथौडी जिला– मुजफ्फरपुर केस फाईल न0– केडी/80263	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

12	रामचद्र मेहता पिता– स्व0 सुखराम मेहता ग्राम+पो0– डुमरी थाना– करजाईन जिला– सुपौल केस फाईल नं0– 19एफ2026/005210	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	मीना देवी पति– विष्णुदेव सिंह ग्राम+पो0– अलीनगर लेवढन थाना– बलिगांव जिला– वैशाली केस फाईल नं0– 19एफ2026/003122	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
14	गुलशन खातून पति– जवार असारी ग्राम– भटौलिया पो0– पताही थाना– बेलसड जिला– सीतामढी केस फाईल नं0– 19एफ2026/006530	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	अनिल कुमार सिंह पिता– शिवपूजन सिह ग्राम+पो0– कुडिया थाना– पीपरा जिला– पूर्वी चम्पारण केस फाईल नं0– 11एफ2026/019534	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			10,30,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,30,000/- (**दस लाख तीस हजार**) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 001891 .....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0–TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम–"होमी भाभा कैसर हौस्पीटल,एडं रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार–चालु, बैंक का नाम–एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम– RTGS/IFSC कोड नं0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/ गलत नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ.) माह होगी।

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन
ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2914(14) पटना, दिनांक 26/10/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 000894 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/10/26
निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11–1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
महावीर कैसर संस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना–801505

पटना, दिनाक.....

विषयः–''**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **21.10.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो मे
1	मदीना खातुन पति–रोजादीन अन्सारी ग्राम–पो0–बभनबारा थाना–बडहरिया जिला– सीवान एम0सी0एस–एफ 731 / 10246623	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	टिंकु कुमार पिता– गोरख पासवान ग्राम– रूकनपुरा पो0– बिरी कालेज थाना– रूपसपुर जिला– पटना एम0सी0एस–एफ 88848	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	नवल किशोर प्रसाद पिता– जनक प्रसाद ग्राम– बंगरी पो0–निमोईया थाना– घोडा साहन जिला– पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस–10371732	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	मरछिया देवी पति– सुदेश्वर सिंह ग्राम–कालीगंज पो0– दोधरा थाना बिहटा जिला पटना एम0सी0एस–10370596	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	सावित्री देवी पति– सुखदेव प्रसाद ग्राम– चकजलाल पो0– खजुरार थाना भदौरा जिला– पटना एम0सी0एस– 10371023	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	रेशमा देवी पति– राजेन्द्र राय ग्राम– धकौल राय टोला पो0+थाना– अथमलगोला जिला–पटना एम0सी0एस–10369889	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	सिबो देवी पति–उपेन्द्र पंडित ग्राम– नवहथ पो0– रामपट्टी थाना– पंडौल जिला– मधुबनी एम0सी0एस–10367032	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	अजमेरी खातुन पति– इमाम हुसैन ग्राम– भोपतपुर पो0– जोगापुर कोठी थाना– जामो बाजार जिला– सीवान एम0सी0एस– 10361734	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	रामाधार बैठा पिता– जोखु बैठा ग्राम+पोस्ट– बरवा थाना लखौरा जिला–पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस–एफ 39938 /10285830	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	रूटा देवी पति– भुटेली महतो ग्राम– मगलहिया पोस्ट– सुन्दरगावन थाना– गोपालपुर जिला– प0 चम्पारण एम0सी0एस–10372140	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	नेमन गोप पिता– भाजु गोप ग्राम– बडकी घोषी पो0– दाहा बिगहा थाना– हिलसा जिला नालंदा एम0सी0एस–10370932	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	देवेन्द्र कुमार पिता– रामानन्द प्रसाद ग्राम– सोनकुकरा पो0+थाना– मसौढी जिला– पटना एम0सी0एस–10371285	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	शीला देवी पति– विरेश गिरि ग्राम– सनाह के मठिया पो0– धरम परसा थाना– माझागढ जिला– गोपालगंज एम0सी0एस– 10370817	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	आनन्द सिह पिता– अर्जुन सिंह ग्राम+पोस्ट– रामपुर मोहनपुर थाना– बैरगाछी जिला– अररिया एम0सी0एस–10372593	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	निशा देवी पति– राजेन्द्र कुमार मंडल ग्राम– कुम्हडी पो0– दुर्गागंज थाना– कदवा जिला– कटिहार एम0सी0एस–एफ 74457/ 10320349	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	फुल कुमारी देवी पति– इन्द्रदेव सिंह ग्राम+पो0– पनवारी थाना– सिकरहता जिला– भोजपुर, आरा एम0सी0एस– 10370700	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	फुलबास खातुन पति– जमरूल हक ग्राम+पो0+थाना– कटिहार जिला– कटिहार एम0सी0एस–10337780/ एफ 91888	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
18	देव कुमार मांझी पिता– सतन मांझी ग्राम दरगाहपुर पो0– महपारा थाना– पतौर जिला– दरभंगा एम0सी0एस–10369706	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	अर्जुन कुमार पिता– जयश्री राम ग्राम– नौतन पो0– बज्राहिया थाना– जीबी नगर जिला– सीवान एम0सी0एस–10371805	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	सुमित्रा देवी पति– बलीराम सिह ग्राम– नोनिया बीगहा पो0– फखरपुर थाना+जिला– अरवल एम0सी0एस–10372975	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	मास्टर आतिश कुमार पिता– आनन्द राय ग्राम+पो0–अजहिया थाना– दरियापुर जिला– सारण एम0सी0एस–10373045	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	जितेन्द्र दास पिता– नाथुन दास ग्राम– नरगदा पोस्ट– जमसौत थाना– शाहपुर जिला– पटना एम0सी0एस– 10371899	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	शीला देवी पति– लुरो मंडल ग्राम– कन्हैयाचक वार्ड 01 पो0– कन्हैयाचक थाना– परबता जिला– खगडिया एम0सी0एस–10363111	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	रॉकी कमार पिता– उमेश सिंह ग्राम+पो0– ढिबर थाना– फतेहपुर जिला–गया एम0सी0एस–10308199 / एफ 62307	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	सोना खातुन पति– उस्मान साफी ग्राम– चकला पो0– डहरिया थाना– छातापुर जिला– सुपौल एम0सी0एस– 10371320	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	मालती देवी पति– जितवहन पासवान ग्राम–नगर खुदवान पो0– खुदवान थाना– खुदावा जिला– औरगाबाद एम0सी0एस– 10366869	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	तारा देवी पति– शिव नारायण यादव ग्राम– भान वार्ड 06 पो0– भान थाना मधेपुरा जिला– मधेपुरा एम0सी0एस– 10371292	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	विनय साह पिता–पन्ना लाल साह ग्राम– भटहॉ पो0–भटहॉ थाना– सुगौली जिला– पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस– 10372911	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	विरेन्द्र सिंह पिता– शिवनंदन सिंह ग्राम–खानपुर पो0– पेदापुर दनियांवा थाना– एकगरसराय जिला– नालदा एम0सी0एस–एफ 95220/ 10341112	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	अनिता देवी पति– सुनील प्रसाद ग्राम– पररी पो0– तारानगर थाना आई0 आई0 टी0 जिला– पटना एम0सी0एस–10373055	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	सुरेन्द्र पासवान पिता– स्व0 सुखदेव पासवान ग्राम+पो0– कथौली थाना– नूरसराय जिला नालंदा एम0सी0एस– 10320679	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	सुधावन यादव पिता– नर्सिंग यादव ग्राम+पो0–ओरियावॉ थाना– एकंगरसराय जिला नालंदा एम0सी0एस–10372453	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	सुनीता देवी पति– रघुनन्दन यादव ग्राम+पो0– तामुआ थाना छातापुर जिला– सुपौल एम0सी0एस–10372623	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	रीना देवी पति– सिकन्दर यादव ग्राम– महिंदवारा पो0– महिदवारा नवटोली थाना– फुलपरास जिला– मधुबनी एम0सी0एस– 10373100	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	रमेश यादव पिता– अचमीत यादव ग्राम– मौजाहा पो0– रघुनाथपुर थाना– भरगामा जिला– अररिया एम0सी0एस–10359621/ जी0 13730	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	ऋषभ कुमार पिता– गोविन्दा यादव ग्राम+पो0– कमालपुर थाना– बरौली जिला– गोपालगंज एम0सी0एस– 10372814	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	गणेश कुमार पिता– हरी राम ग्राम–खैरा सीता बीघा वार्ड 9 पो–मटपा थाना–कुटुम्आ जिला– औरंगाबाद एम0सी0एस–10371634	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	पुनम देवी पति– चन्द्रशेखर सिह ग्राम– पी0ओ0 ढेलवॉ पा0– ढेलवॉ थाना रामकृष्णा नगर जिला– पटना एम0सी0एस–10336721	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	मो0 शमीम अंसारी पिता– मो0 जमालुद्दीन ग्राम– खडौल पोस्ट– फुलारी थाना– सदेश जिला– भोजपुर एम0सी0एस–10372289	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	निर्मला देवी पति– शंकर महतो ग्राम– धोबगामा पोस्ट– जगदीशपुर वार्ड 12 थाना–मलिकौर जिला– समस्तीपुर एम0सी0एस–10283481/एफ 37589	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	राम्कंत पंडित पिता– पंचु पंडित ग्राम– मसुराज पो0– सिरसी थाना– खोदावन्दपुर जिला बेगुसराय एम0सी0एस–10370772	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	मास्टर अभिषेक कुमार पिता– राजीव कुमार ग्राम– मोहम्मदपुर पो0– मिर्जापुर बंददुवार थाना– बेगूसराय टाउन जिला– बेगूसराय एमसीएस नं0– 10366162	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 33,40,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 33,40,000/- (तेतीस लाख चालीस हजार)** के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000817 ..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 **3601018437** खाता धारक का नाम–**'महावीर कैंसर इंस्टीच्युट एडं रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट,** खाते का प्रकार–चालु, बैंक का नाम–**सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया,** शाखा का नाम –**चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना** RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुश्नश्चित किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,**

शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2924 (14) पटना, दिनाक 26/10/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.000894.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को **सभी संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/10/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
पारस एच0एम0आर आई0 अस्पताल,
राजाबाजार,
पटना– 800014

पटना, दिनांक .. ..

विषयः– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **21.10.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	**मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या**	**बीमारी का नाम**	**अनुदान की राशि**	**राशि शब्दो में**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	अजय कुमार सिंह पिता– गोपाल जी सिह ग्राम+पो0– मुकरेडा थाना– रिविलगंज जिला– सारण रजि नं0– 3000659536	हृदय रोग पीटीसीए	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			50,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 50,000/–** (**पचास हजार**) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 001827.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 **16498260000011** खाता धारक का नाम–पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार–चालू, बैंक का नाम–**एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0,** शाखा का नाम–AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड स0– HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. **चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को**

वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

5. मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

6. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

8. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राषि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।

9. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2925 (14) पटना, दिनाक 26/10/2024

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 000877 .. की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, **संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/10/24
निदेशक प्रमुख

सं0सं0–14/एम 11–1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
रूबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना–800013

पटना, दिनाक.. ....

विषयः– मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबध मे।

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनाक **21.10.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती हैः–

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	दिप्रकाश कुमार पिता– धुनु राम ग्राम+पो0– अकरूआ थाना– पीरो जिला– भोजपुर	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	सरीफा देवी पति– योगेनद्र प्रसाद ग्राम– शंकरपुर पो0– कारू बिगहा थाना– नीमचक बथानी जिला– गयाजी	ब्रेन ट्यूमर (सर्जरी)	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,75,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,75,000/– (**एक लाख पचहत्तर हजार**) रू0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0.000877 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0–32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम– State Bank of India शाखा का नाम –एस0एम0ई0 ब्राच, डाकबगला रोड, पटना–800001 RTGS/IFSC कोड स0 SBIN0001513 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

6. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2926 (14) पटना, दिनांक 26/10/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलक स0 000894 ..की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) सभी सबंधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/10/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
बीग अपोलो स्पेट्रा अस्पताल
शीतला मदिर रोड नीयर संप हाउस
अगमकुंआ पटना 800007

पटना, दिनाक ... . .

विषयः– मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध मे।

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक– **21.10.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकि्त बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	**मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या**	**बीमारी का नाम**	**अनुदान की राशि**	**राशि शब्दो में**
1	2	3	4	5
1	सैरा खातून पति– मो0 तैयब ग्राम– पिपराही पो0+थाना– डगमारा जिला– सुपौल	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	शैलेश कुमार पिता– दिनेश प्रसाद यादव ग्राम– दरगाहीबिगहा पो0– तेयार थाना– नरहट जिला– नवादा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			1,60,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,60,000/– (**एक लाख साठ हजार**) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000894 .द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0–1714354694 खाता धारक का नाम–"BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार–चालू, बैक का नाम– कोटक महिन्द्रा बैक,(गाधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं0– KKBK0000351 में अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।**

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2927(14) पटना, दिनाक 26/10/2024

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0. 000891 . की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/10/24
निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14/एम 11–1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक ....

विषयः– मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक **21.10.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	
1	दिपक कुमार पिता– मदन प्रसाद ग्राम– सासाराम रोड बिक्रमगज पो0+थाना– बिक्रमगज जिला– रोहतास	हृदय रोग डीवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	सुरेन्द्र मिश्रा पिता– राम बच्चन मिश्रा ग्राम+पो0– एगहारा थाना– बघेला जिला– रोहतास	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			2,00,000	

2. उक्त अनुदानं की कुल राशि ₹ 2,00,000/– (**दो लाख**) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000897 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0– 50200060079860 खाता धारक का नाम– Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम– HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम– , RTGS/IFSC कोड स0 HDFC0000477 मे अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को**

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि छ· माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।

8. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2928 (14) पटना, दिनांक 26/10/2024

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 000897.....की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/10/24

निदेशक प्रमुख

सं0सं0'14/एम–11–1/**2025**

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
हाईटेक इमरजेंसी अस्पताल
प्रा0 लि0, सगुना मोड,
खगौल रोड, पटना–801503

पटना, दिनांक.....

विषय:– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **21.10.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	अनुदान की राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	उर्मिला देवी पति– बिनोद कुमार तिवारी ग्राम– 85 नार्थ शास्त्री नगर शिव मंदिर के पास सी डी ए कॉलोनी शास्त्री नगर पो0– शास्त्री नगर थाना– शास्त्रीनगर जिला– पटना	हीप रिप्लेसमेंट सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			₹ 75,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 75,000/– (पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 100891 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0– **2005501735**, खाता धारक का नाम– **M/s HITECH EMERGENCY HOSPITAL,** खाते का प्रकार– , बैंक का नाम– **सेंट्रल बैंक आफ इंडिया**, शाखा का नाम– **Saguna More Danapur, Patna,** RTGS/IFSC कोड सं0 **CBIN0284605** में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनो के अंदर वापस किया जाय।
6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**
7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**
8. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2929 (14) पटना, दिनांक 26/10/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.000891..... की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख 26/10/26

सं0 सं0 14/एम 11–1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
दृष्टि पुज आई आस्पताल प्रा0 लि0,
नोर्थ ऑफ रूपसपुर नहर ओवर ब्रिज,
विश्वेश्वरैया नगर, नियर गोला रोड पैट्रोल पम्प,
बेली रोड, पटना– 801503

पटना, दिनांक.....

विषयः– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनाक 21.10.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	
1	गुडिया देवी पति– भरत कुमार ग्राम– राजपुरा पो0– हृदयचक थाना– कलेर जिला– अरवल	नेत्र रोग (रेटिना)	10,000	दस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			10,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,000/– (दस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000814 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0– **59207070084444** खाता धारक का नाम–DRISHTIPUNJ EYE HOSPITAL Pvt. Ltd खाते का प्रकार–चालु, बैंक का नाम HDFC BANK, शाखा का नाम Saguna More Branch, RTGS/IFSC कोड स0 HDFC0003961 में अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनो के अदर वापस किया जाय।

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

8. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2930(14) पटना, दिनांक 26/10/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 000877 ..की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को **सभी संबंधित मरीजो के** सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14/एम 11– 01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

विपिन कुमार राय
पिता– नागेश्वर राय
ग्राम– ईमादपुर
पो0– पस्तारा
थाना– वलिगांव
जिला– वैशाली
पिनकोड– 843114

पटना दिनाक.....

विषयः– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक **21.10.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप मे कॉलम–4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	विपिन कुमार राय पिता– नागेश्वर राय ग्राम– ईमादपुर पो0– पस्तारा थाना– वलिगांव जिला– वैशाली पिनकोड– 843114	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय संकल्प संख्या– 213(14), दिनाक–30.01 2024 के आलोक मे)
			रू0 1,08,000/–	

2. उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/–(एक लाख आठ हजार)) के भुगतान के लिए उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, खाता स0–30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 .000894.. .. .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके खाता स0– **007910349513,** खाता धारक का नाम– **VIPIN KUMAR RAY,** खाते का प्रकार–, बैंक का नाम– **INDIA POST PAYMENTS BANK,** शाखा का नाम–**, IFSC** कोड स0– **IPOS0000001** में अंतरित किया जाता है।

3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद मे राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

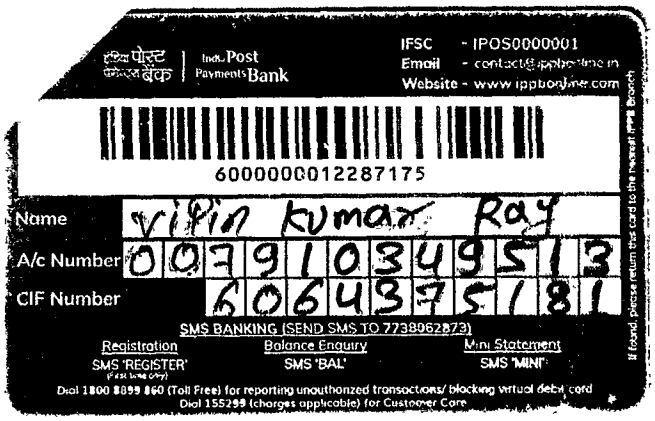
ज्ञापांक 2936 (14) पटना, दिनाक 26/10/2026

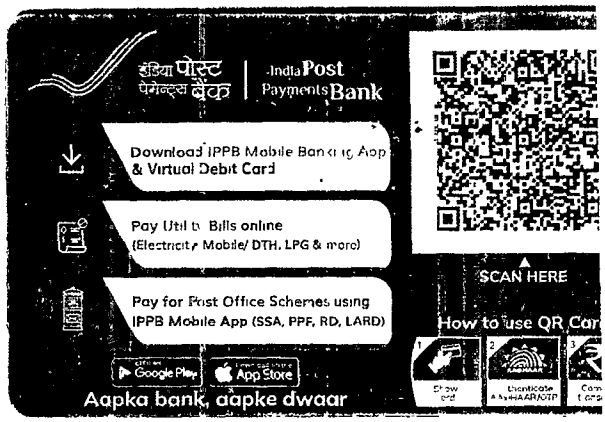
प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0. 000277 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/10/26

निदेशक प्रमुख


इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक
India Post Payments Bank
IFSC - IPOS0000001
Email - contact@ippbonline.in
Website - www.ippbonline.com
6000000012287175
Name vipin kumar Ray
A/c Number 0097103495113
CIF Number 60643751811
SMS BANKING (SEND SMS TO 7738062873)
Registration
SMS 'REGISTER'
Balance Enquiry
SMS 'BAL'
Mini Statement
SMS 'MINI'
Dial 1800 8899 860 (Toll Free) for reporting unauthorized transactions/ blocking virtual debit card
Dial 155299 (charges applicable) for Customer Care
If found, please return this card to the nearest India Branch


इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक
India Post Payments Bank
Download IPPB Mobile Banking App & Virtual Debit Card
Pay Utility Bills online (Electricity, Mobile/ DTH, LPG & more)
Pay for Post Office Schemes using IPPB Mobile App (SSA, PPF, RD, LARD)
SCAN HERE
How to use QR Cod
Google Play
App Store
Aapka bank, aapke dwaar